प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 869 रान 2019
अनवान :–

1. भोलासिंह पुत्र निर्भयसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. महगासिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. रेशमसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
3. हरपालकोर पत्नी निर्भयसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
4. निर्मलसिंह पुत्र निर्भयसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 26.11.2021.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 104/90 की कुल 3.4030हैक्ट रोही मोजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 77/71 की कुल 2.0240हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नामसे दर्ज है ।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता एव प्रतिवादी संख्या 3 के पति स्व निर्भयसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया हुआ था जिसमे पंजाब की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्राप्त हुई थी और तहसील नोहर की वाद भूमि वादी के पिता निर्भयसिंह को प्राप्त हुई थी बाहमी बटवारा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ,2 पंजाब की भूमि काश्त करते है ओर अपने नाम भी करवा ली है तहसील नोहर की भूमि वादी के पिता को प्राप्त हुई थी जिसे वादी अपने नाम करवा पाने का अधिकारी है ।

वादी के पिता निर्भयसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 है जो निर्भयसि हके हक हिस्सा की भूमि को पाने के अधिकारी हे तथा बाहमी बटवारा के अनुसार तहसील नोहर की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की माता है एवं निर्भयसिंह की पत्नि है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वज एवं एक ही परिवार के सदस्य है के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजो के नाम तहसील नोहर एवं पंजाब में भूमि थी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पर्वूज पंजाब में निवास करते थी और वादी के पूर्वज नोहर में निवास करते थे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजो ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर पजांब की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजों को प्राप्त हुई और तहसील नोहर की भूमि वादी के पूर्वजो को प्राप्त हुई वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजो के देहान्त होने पर वाद भूमिया वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है तथा बाहमी बटवारा के अनुसार पजाब की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को प्राप्त हो चुकी है तहसील नोहर की भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की भूमि है जो उन्हे बाहमी बटवारा में प्राप्त हुई है वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्र वादी एवं प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

संख्या 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन मे ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट मे पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण मे उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 104/90 की कुल 3.4030हैक्ट रोही मोजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 77/71 की कुल 2.0240हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नामसे दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजो के नाम तहसील नोहर एवं पंजाब में भूमि थी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पर्वूज पंजाब में निवास करते थी और वादी के पूर्वज नोहर में निवास करते थे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजो ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर पजांब की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजों को प्राप्त हुई और तहसील नोहर की भूमि वादी के पूर्वजो को प्राप्त हुई वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजो के देहान्त होने पर वाद भूमिया वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है तथा बाहमी बटवारा के अनुसार पजाब की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को प्राप्त हो चुकी है तहसील नोहर की भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 104/90 की कुल 3.4030हैक्ट रोही मोजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 77/71 की कुल 2.0240हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नामसे दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 को बहिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गाव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... जसाना

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डेर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भोलासिह पुत्र निर्भयसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी गोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 महगासिह पुत्र लक्ष्मणसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी गोधुवाली तहसील नोहर।
2. रेशमसिह पुत्र नत्थासिह जाति जटसिख निवासी ढाणी गोधुवाली तहसील नोहर।
3. हरपालकोर पत्नी निर्भयसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी गोधुवाली तहसील नोहर।
4. निर्मलसिह पुत्र निर्भयसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी गोधुवाली तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 869 सन 2021 निर्णय दिनांक–26.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 104/90 की कुल 3.4030हैक्ट रोही मोजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 77/71 की कुल 2. 0240हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नामसे दर्ज है मे से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गाव के संग अभियान वर्ष – 2021 मे मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....जसाना

Scanned with CamScanner